235

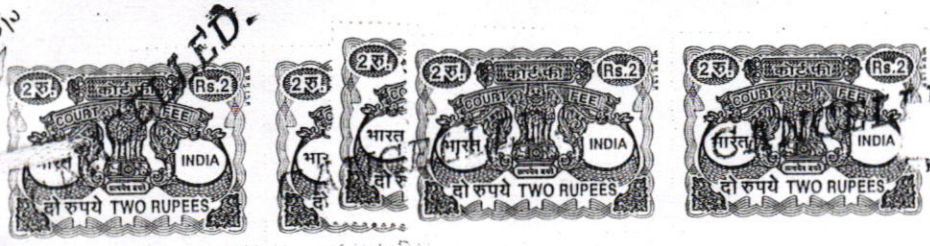

A - 1546 - II / 2010

न्यायालय- माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर (म०प्र०)

दुर्जु उर्फ दुर्जन लोधी तनय श्री हल्का लोधी

निवासी- नारगुन्डा तह० व जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

— आवेदक/अपीलार्थी

// विरूद्ध //

नथू तनय श्री गमीरा लोधी

निवासी-नारगुड़ा तह० टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र०

— अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी

द्वितीय अपील क्रमांक- /10 आदेश दिनांक 28.09.10

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2) (3) म०प्र०भू०रा०सं०1959.

आवेदक/अपीलार्थी की ओर से निम्नानुसार प्रार्थना है : -

1:- यह कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा एक राजस्व अपील दिनांक 16.9.10 को माननीय निम्न न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ की राजस्व अपील क्रमांक-22/अपील/09-10 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.10 से दुखित होकर प्रस्तुत की थी जिसकी रा० अपील क्रमांक 562अ/6/2009-10 के रूप में पंजीबद्ध की गई थी ।

2:- यह कि उपरोक्त अपील में अपीलार्थी की ओर से एकआवेदन पत्र स्थगन प्रदान किए जाने बावत् इस आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गयाथा जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.10 को ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुनवाई करते हुए उक्त अपील इस आधार पर निरस्त कर दी कि उपरोक्त अपील रिमांड

..2..

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-1546-LB/10 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.11.16.	आवेदक को पुकार दी गई परन्तु कोई उप० नहीं। अभि. की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पेरवाल उप०। आवेदक को वर्ष 2014 से निरंतर पुकार लगाये जाने के उपरान्त भी अनु. रहने से स्पष्ट है कि उसे प्रकरण को निरंतर रखे जाने में कोई रुचि नहीं है। अतः प्रकरण रुचि के अभाव में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हों अभिलेख वापिस किया जावे। सदस्य	राजेन्द्र 29/11/16
R/12		

[कृ. प. उ.